उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 1200 –का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पाकालि/19–14–काविनी/87(एम.एफ.) दिनांक 16 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वीं बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य मे अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता आधारित चयन मे अपनाये जाने वाली प्रक्रिया विषयक परिषदादेश सं0 1327–काविनी/सादेप–29/96–14–काविनी/87 दिनांक 11.07.1996 सपठित आदेश सं0 21–काविनी–(29)/पाकालि/06–14–काविनी/87(टीसी) दिनांक 09.01.2006 के प्रस्तर–2 (*शीर्षक– चयन तथा चयन सूची को तैयार किया जाना*) मे उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त एतद्द्वारा निम्नवत् प्राविधानो को भी सम्मिलित किया जाता है :–

"(अ) उक्त के साथ निम्नांकित परिस्थितियों में भी कार्मिक "अनुपयुक्त" की श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेगें :–

(1) आलोच्य अवधि में 3 अथवा 3 से अधिक वृहद दण्ड प्राप्त होने पर।

(2) चयन वर्ष के ठीक पूर्व के चयन वर्ष में किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(3) चयन वर्ष में चयन किये जाने की तिथि तक यदि किसी कार्मिक को वृहद दण्ड प्रदान किया गया है।

(ब) चयन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के अनुसार प्रोन्नति हेतु अर्ह होने की तिथि तक यदि किसी प्रकरण में वृहद दण्ड मिल जाता है तो उक्त कार्मिक को उस चयन वर्ष में जिसके अन्तर्गत वह चयनित किया गया है, प्रोन्नत नहीं किया जायेगा एवं उसका चयन स्वमेव निरस्त माना जायेगा। "

2 उपर्युक्त प्राविधान चयन वर्ष–2021–22 से प्रभावी होंगे तथा पूर्व में लिये गये निर्णय पुनरोद्घाटित नही किये जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 1200–(I)–का0वि0नी0 एवं वे0प्र0–29/पा0का0लि0/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 रा0वि0उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग एवं जाँच समिति, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक (लेखा–प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 21.08.2021 को सम्पन्न 170(20)वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
16. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
उप सचिव (काविनी)

39/